



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक-2/11/2021

थाना लोनी पुलिस द्वारा शराब तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त 48 अदद पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला अभियुक्त निरंजन पुत्र दामोदर दास निवासी संतोष इन्टर कालेज के पास न्यु विकास नगर थाना लोनी गाजियाबाद को 48 पच्चे देशी शराब रसीला संतरा हरियाणा मार्का सहित टंकी के सामने मुस्तफाबाद हल्का चौकी कस्बा से दिनांक 02.11.2021 समय 10.50 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

निरंजन पुत्र दामोदर दास निवासी संतोष इन्टर कालेज के पास न्यु विकास नगर थाना लोनी गाजियाबाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-1529/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी गा0बाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद
2. उ0नि0 नरेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी कस्बा थाना लोनी गा0बाद
3. है0का0 921 ओमकार सिंह व
4. है0का0 961 ऋषिपाल सिंह

बरामदगी का विवरण:-

48 पच्चे देशी शराब रसीला संतरा हरियाणा मार्का।

थाना लोनी पुलिस द्वारा चाकू मारकर महिला को घायल करने वाला 01 वांछित अभियुक्त मय घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू सहित गिरफ्तार

दिनांक 01.11.2021 को श्रीमती संध्या पत्नी राजकुमार निवासी रंजीत विहार मक्का मस्जिद थाना लोनी गाजियाबाद ने थाना हाजा पर आकर सूचना दी कि दिनांक 01.11.2021 को काके द्वारा चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया है इस सूचना पर थाना लोनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 1526/21 धारा 324 भादवि वादिया श्री संध्या उपरोक्त की तहरीर के आधार पर पंजीकृत किया गया। जिसके सम्बन्ध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी लोनी गा0बाद के निर्देशन में टीम गठित की गयी। जिनके द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त काके पुत्र लाल सिंह निवासी रंजीत विहार मक्का मस्जिद के पास डीएलएफ थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को कृष्णा चौक के पास से दिनांक 02.11.2021 की प्रातः गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त एवं आपराधिक इतिहास -

काके पुत्र लाल सिंह निवासी रंजीत विहार मक्का मस्जिद के पास डीएलएफ थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

मु0अ0सं0 1528/21 धारा 4/25 A ACT थाना लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0 1526/21 धारा 324 भादवि थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी:-

01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद

2.उ0नि0 योगेश देशवार

3.का0 769 मनीष

थाना लोनी पुलिस द्वारा पटाखे बेचने वाला एक अभियुक्त पटाखों सहित गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा पटाखे बेचने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा पटाखे बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त सलीम पुत्र हनीफ निवासी फारुख नगर थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद को दो कट्टे (पटाखे, अनार, बुलैट बम) पटाखो व 1570 रु0 के साथ लोनी रेलवे स्टेशन के पास चौकी क्षेत्र कस्बा से दिनांक 01.11.2021 समय 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

सलीम पुत्र हनीफ निवासी फारुख नगर थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण अभियुक्त कलीम-

मु0अ0सं0-1527/2020 धारा 5/9B(1)B विस्फोटक अधिनियम व 188/ 286 भादवि थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद
- 2.उ0नि0 नरेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी कस्बा थाना लोनी गा0बाद
3. है0का0 657 अरुन कुमार
- 4.हैड का0 1416 विपिन कुमार
- 5.है0का0-554 पंकज शर्मा

बरामदगी का विवरण:-

दो कट्टे (पटाखे, अनार, बुलैट बम) पटाखे व 1570 रु0

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा एक नफर शातिर मोबाइल चोर गिरफ्तार

दिनांक – 02.11.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र चन्द पन्त की टीम द्वारा दिनांक:-02.11.2021 समय 11.30 बजे दौराने चैकिंग रंजीत गेट से खडखडी रोड पर चौकी क्षेत्र पुश्ता से अभियुक्त सिरातल पुत्र

नदीम निवासी बरेली के मदरसे के पास घण्टाघर थाना कोतवाली सहारनपुर जनपद सहारनपुर उम्र 20 वर्ष को चोरी के मोबाइल फोन वीवो के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ पर बताया कि साहब फोन को चोरी कर में अपने निजी शोक पूरा करता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सिरातल पुत्र नदीम निवासी बरेली के मदरसे के पास घण्टाघर थाना कोतवाली सहारनपुर जनपद सहारनपुर उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सिरातल पुत्र नदीम उपरोक्त -

1. मु0अ0स0-656/21 धारा 380 भादवि एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री मनीष सिंह थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
2. है0का0 1488 ओवेन्द्र कुमार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
3. है0का0 धीरेन्द्र कुमार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1. मोबाइल फोन वीवो आईएमईआई नं0 868386056048238 , 868386056048220 ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध गांजा बिक्री करते समय एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 02.11.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र चन्द पन्त की टीम द्वारा दिनांक:-02.11.2021 समय 07.15 बजे दौराने चैकिंग रंजीत गेट से खडखडी रोड पर चौकी क्षेत्र पुश्ता से अभियुक्त मनोज पुत्र चन्द्रपाल नि0 ज्ञानेन्द्र स्कूल के पास नाईपुरा थाना लोनी गाजियाबादके को 480 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ पर बताया कि साहब गांजा को सस्ते दामों में खरीदकर उच्च दामों को बेचकर अपने शौक पूरा करता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मनोज पुत्र चन्द्रपाल नि० ज्ञानेन्द्र स्कूल के पास नाईपुरा थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 20

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मनोष पुत्र चन्द्रपाल -

2. मु०अ०स०-733/21 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

4. उ०नि० श्री मनीष सिंह थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।
5. उ०नि० यू०टी० श्री कुलदीप कुमार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।
6. का० 3779 मुनीफ खान थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

2. कुल 480 ग्राम गांजा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 चाकू नाजायज व 01 अदद स्कूटी Activa रंग सलेटी No-RJ19DC5683 व पिडू बैग जिसमे लैपटॉप, 02 अदद चैक SBI बैंक N0- 408298, 408299 व 04 पोस्टल आर्डर आदि बरामद

दिनांक 02.11.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री पवन कुमार के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अमित कुमार खारी की टीम द्वारा दिनांक: 02.11.2021 घटनास्थल ग्यासूद्दीन की मजार के पास चौकी क्षेत्र कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से दौराने चैकिंग 02 नफर अभियुक्त 1. नासिर पुत्र लियाकत 2. उमर फारुख पुत्र शकील अहमद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0- 992/2021 धारा 411 भादवि बनाम नासिर व उमर फारुख व मु0अ0सं0- 993/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम नासिर व मु0अ0सं0- 994/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम उमर फारुख के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।



अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पकडे गये अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया कि हम लोग बन्द मकान मे मौका पाकर मकान का ताला तोडकर चोरी करते है तथा कल रात्रि मे हमारे द्वारा मकान के ताले को सब्बल से तोडकर लैपटाप व स्कूटी तथा अन्य सामान मदर डेरी वाली रोड बोन्जा कालोनी सिहानी गेट गा0बाद से चोरी किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- नासिर पुत्र लियाकत निवासी 23 रोगन ग्राम कस्वा बुगरासी थाना नरसैना जिला बुलन्दशहर उम्र मौ0 - वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त-

1. मु0अ0स0- 992/2021 धारा 411 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
2. मु0अ0सं0- 993/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
3. मु0अ0सं0- 1228/21 धारा 380, 457 भ0द-वि0 थाना सिहानी गेट गा0बाद

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

उमर फारुख पुत्र शकील अहमद निवासी गफ्फार मंजिल पार्ट हाजी कालोनी जामिया नगर थाना 2
24 ओखला साउथ दिल्ली स्थाई पता पुराना बागपत बडी मस्जिद के पास थाना व जनपद बागपत उम्र
_वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त

1. मु0अ0स0- 992/2021 धारा 411 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0- 994/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोवताली नगर गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0- 1228/21 धारा 380, 457 भ0द-वि0 थाना सिहानी गेट गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

1- एक अदद स्कूटी Aactiva रंग सलेटी No- RJ19DC5683 **2-** बैग पिट्टू रंग काला जिसमे एक लैपटॉप HP मय की पैड मय चार्जर रंग काला, **3-** बैग मे एक पीला रंग का लिफाफा जिसमे दो चैक SBI बैंक N0- 408298, 408299, **4-** चार पोस्टल आर्डर No- 41F538298, 41F528301, 47F068547, 47F068549 **5-** बुक जिस पर संगिनी स्वर्ण जयन्ती 2020 आदि लिखा है व रजिस्टर कोपी नुमा जिसके अन्दर पैन से अग्रेजी में राणा राम, मौ0न0- 9478783247 आदि लिखा है एक टाईफ शुदा नोट्स कम्पीटिशन आदि की तैयारी हेतु जिस पर सम्पत्ति अन्तरण अधि0 आदि लिखा है (उपरोक्त सभी चोरी से सम्बन्धित मु0अ0सं0- 1228/21 धारा 380, 457 भ0द-वि0 थाना सिहानी गेट गा0बाद है व लोहा का सब्बल छोटा ताला तोडने का उपकरण जो चोरी मे प्रयोग हुआ है,) **5-** एक तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315, **6-** मय एक चाकू नाजायज

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री अमित कुमार खारी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
2. उ0नि0 श्री अनंगपाल राठी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
3. है0का0 1380 भागत सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
4. है0का0 272 राज तरार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।